

18-11-2024 वकील प्रार्थी अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में वकील मय प्रार्थी को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन वकील व प्रार्थी में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। लिहाजा प्रार्थी का वाद अइम पैरवी व अइम हाजिरी में खारिज किया जाता है।

प्रावली फैसल सुमार होकर डाखिल
दफतर है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बलौतरा